FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

गोकुल वगै० बनाम् गंगाबक्स वगै०

किस्म मुकदमा:– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर:– 69 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
18.05.2018	वकील प्रार्थीगण श्री रामजीलाल सैनी एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील प्रार्थीगण के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किए जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। दौराने सुनवाई वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थना पत्र की प्रकृत्ति एंव आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 0.39 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर में अपने हिस्से से अधिक का बैचान नहीं करे एंव रकबे मे निर्माण नहीं करें एंव प्रार्थीगण के हिस्से की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना न करने पर नियमानुसार [illegible] कार्यवाही होगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.06.2018 को पेश हो। [signature]	
28-5-18	वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [signature]	

Scanned by CamScanner

आदेश पत्र [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28.6. - 6/2018	
	तहसीलदार गढ़ी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट हुई। आवेदन पर कार्यवाही नियमानुसार के राजस्विक मूल वाद पर अंकित नामांतरण खारिज किए जाने पर आवेदन कायम किये जाने से तथा आवेदन पर कार्यवाही नियमानुसार की जाने में राजस्व रिकॉर्ड पर कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवेदन पर कार्यवाही नियमानुसार की इसी स्तर पर तहसील किया जाना है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	[signature] (प्रकाश चन्द) RAS उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Scanned by CamScanner